समक्ष-सदस्य मध्य प्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प भोपाल (म॰ प्र॰)

Speed post
C165529092 7 In
Date 31/12/15

प्र॰ क्र॰ 2494/निगरानी/2014

सुमन त्रिपाठी विरूद्ध आशीष वर्मा

आवेदनपत्र वास्ते माननीय महोदय के आदेश दिनांक 17/12/2015 के पालन में सूची अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने बाबत।

महोदय,

रेस्पान्डेन्ट- की ओर से निवेदन है:-

1:- यहकि माननीय न्यायालय ने दिनांक 17/12/2015 को उपरोक्त प्रकरण में सुमन त्रिपाठी द्वारा प्रस्तुत निगरानी में प्रारंभिक तर्क ग्राह्य किये जाने संबंधी श्रवण कर प्रकरण आदेशानुसार दिनांक 05/01/2016 को राजस्व मण्डल की मुख्य पीठ ग्वालियर में नियत किया है।

2:- यहकि दिनांक 17/12/15 के पालन में सूची अनुसार दस्तावेज मुख्त्यारनामा आम पंजीकृत दिनांक 4/5/2010 की छायां प्रतिलिपि संलग्न हैं। एंव रेस्पाडेंट के हित में निष्पादित पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 30/4/2011 के आधार पर प्रमाणित प्रविष्ठि दिनांक 8/5/11 पंजी क्रमांक 13 की छायांकित प्रति तथा निगरानीकर्ता सुमनत्रिपाठी के हित में प्रमाणित प्रविष्ठि दिनांक - 14/3/2012 की छायां प्रतियां एंव रेस्पाडेंट के हित में जारी ऋण पुस्तिका दिनांक 10/6/2011, एंव वर्ष 2012-13 की किश्तबंदी खतौनी एंव खसरा की छायां प्रतियां आदेशानुसार प्रस्तुत हैं।

अतः उक्त छायां प्रतियां रिकार्ड पर ली जाकर निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी अग्राह्य की जावे।

दिनांक 21/12/2015

आशीषवर्मा
रेस्पान्डेन्ट

द्वारा

Shuwordya

एस॰ के॰ गुरोंदिया एडवोकेट

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R -2494-II/2014 **जिला सीहोर**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश सुमन / आशीष	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5–01–2016	प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री दिनेश त्रिपाठी एवं अनावेदक अधिवक्ता श्री एस.के. गुरौदिया उपस्थित। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के प्रकरण में ग्राह्यता पर तर्क श्रवण किए गये। 2/ उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्को पर विचार किया गया तथा निगरानी मेमो के संलग्न अभिलेख की प्रमाणित प्रतियों का अवलोकन किया गया एवं आक्षेपित आदेश दिनांक 20.6.14 की प्रमाणित प्रति का अवलोकन किया गया। इसके साथ ही अनावेदक अधिवक्ता द्वारा आवेदन दिनांक 21.12.15 के संलग्न प्रस्तुत दस्तावेजों की छाया प्रतियों का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि प्रकरण में मुख्य विवाद नामांतरण से संबंधित है। प्रकरण में आवेदिका के पक्ष में विकय पत्र मूल भूमिस्वामी अनावेदक कमांक 2 द्वारा सम्पादित किया गया है एवं अनावेदक कमांक 1 के पक्ष में विकय पत्र अनावेदक कमांक 2 द्वारा नियुक्त मुख्त्यारआम श्री ओमप्रकाश के माध्यम से निष्पादित किया जाना परिलक्षित है । अनावेदक अधिवक्ता द्वारा अनावेदक कमांक 1 के पक्ष में संपादित विकय पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी है एवं मुख्त्यारनामें की प्रति भी प्रस्तुत की गई है । 3/ इन सब के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि एक ही भूमि खसरा नंबर 83/19 रकबा 0.809 हैक्टेयर का दो बार विकय पत्र पंजीकृत हुआ है । पहला विकय दिनांक 30–4–11 को अनावेदक कमांक 1 आशीष के पक्ष में अनावेदक कमांक 2 लखन के मुख्तयारआम ओमप्रकाश (जो अनावेदक कमांक 1 आशीष के पिता भी हैं) द्वारा निष्पादित किया गया है, (मुख्तयारनामा दिनांक 4–5–10 का है तथा मुख्तयारनामें और इस विकय पत्र में ओमप्रकाश के एक ही हस्ताक्षर हैं । दूसरा विकय पत्र आवेदिका सुमन के पक्ष में मूल भूमिस्वामी अनावेदक कमांक 2 लखन द्वारा दिनांक	प

19–1–12 को निष्पादित किया गया है । यह सब एक साथ देखने से प्रथम दृष्टया इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि मुख्तयारआम ओमप्रकाश ने, बगैर मूल भूमिस्वामी लखन को बताए, अपने पुत्र आशीष के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित कर दिया हो, और बाद में लखन ने (ओमप्रकाश द्वारा अपने पुत्र आशीष को किए गए विक्रय की जानकारी के अभाव में) आवेदिका सुमन के पक्ष में विक्रय पत्र स्वंय अपने हस्ताक्षर से निष्पादित कर दिया हो, हालांकि इस संभावना या अन्य किसी भी संभावना को पुष्ट करने के लिये विधिवत जॉच एवं न्यायालयीन कार्यवाही की आवश्यकता होगी, जो अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में प्रारंभ हुई है।

4/ इन सबके अतिरिक्त यह बात भी प्रकरण में परीक्षण योग्य है कि एक ही भूमि के दो अलग अलग क्रेताओं को एक ही विक्रेता या उसके मुख्तयारआम द्वारा निष्पादित विक्रय पत्र पंजीकृत करने के पूर्व किस प्रकार की सावधानियां बरतने की व्यवस्था या परिपाटी है ।

5/ चूँकि उपरोक्त सभी बिन्दुओं पर विचार अनुविभागीय अधिकारी अपने न्यायालय की अपील में कर सकते हैं, अतः मैं अनुविभागीय अधिकारी के आक्षेपित आदेश दिनांक 20–6–14 में कोई हस्तक्षेप ना करते हुए उन्हें (अनुविभागीय अधिकारी को) यह निर्देश देता हूँ कि वे ऊपर लिखे जा चुके बिन्दुओं एवं संभावनाओं पर तथा प्रकरण के अन्य सभी सुसंगत बिन्दुओं एवं पहलुओं पर विधिवत साक्ष्य, परीक्षण आदि लेते हुए, और पक्षकारों को पक्ष समर्थन का समुचित अवसर देते हुए, इस आदेश की उन्हें (अनुविभागीय अधिकारी को) संसूचना के अधिकतम 4 माह के भीतर, अपने न्यायालय के प्रकरण में गुणदोष पर बोलते स्वरूप का अंतिम आदेश पारित करें। अनुविभागीय अधिकारी को इन निर्देशों के साथ यह निगरानी अग्राह्य की जाती है ।

पक्षकार एवं अनुविभागीय अधिकारी सूचित हों ।

प्रकरण समाप्त ।

दा0द0 हो ।

5.1.16

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य